

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette



# राजपत्र

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 183]

दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 29, 2010/अग्रहायण 8, 1932

[ग.ग.रा.क्षे. दि. सं. 208

No. 183]

DELHI, MONDAY, NOVEMBER 29, 2010/AGRAHAYANA 8, 1932

[N.C.T.D. No. 208]

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 29 नवम्बर, 2010

फा. सं. 12/01/2006/प्र.सु./2379-578/सी.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के दिनांक 25 सितम्बर, 1997 के संकल्प संख्या फा. 04/14/94-प्र.सु. जो दिनांक 30-7-1998 के संकल्प संख्या फा. 4/14/94-प्र.सु. के अनुसार संशोधित हुआ के खंड-2 के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल, श्री शान्ति कुमार जैन (भारतीय पुलिस सेवा) को उन शिक्षक्यत्व नियामण आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में उक्त उल्लिखित संकाल्पों में यशस्विभागित शर्तों के अनुसार नियुक्त करते हैं।

श्री शान्ति कुमार जैन (भारतीय पुलिस सेवा) अपने कार्यपार मंचालने को लिखि से दो वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे।

अरविंद रे, प्रधान मंचित्र

ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 29th November, 2010

No. F. 12/01/2006/AR/2379-578/C.—In pursuance of Clause 2 of Government of National Capital Territory of Delhi's Resolution No. F. 4/14/94-AR dated 25-9-1997 as amended vide Resolution No. F. 4/14/94-AR

dated 30-7-1998, the Lt. Governor of Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh Shanti Kumar Jain (IPS) as Whole Time Member, Public Grievances Commission, Government of National Capital Territory of Delhi subject to the terms and conditions as stipulated in the above referred Resolutions.

Shri Shanti Kumar Jain (IPS) shall hold charge of the post for a period of two years from the date of joining.

ARVIND RAY, Pr. Secy.

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 29 नवम्बर, 2010

सं. फा. 02(07)/91-एसीए/बीटीई/2462.—तकनीकी शिक्षा बोर्ड के गठन संबंधी दिनांक 4-6-2003 को अधिसूचना संख्या फा. 02(07)/91-एसीए/बीटीई/557 से 565 के अधिकारण में उपराज्यपाल, दिल्ली तकनीकी शिक्षा बोर्ड दिल्ली का पुनर्गठन नियमानुसार तुरन्त प्रभाव से करते हैं :—

1. तकनीकी शिक्षा मंत्री —अध्यक्ष
2. मुख्य सचिव —उपाध्यक्ष
3. श्री एवंद यादव, विधायक —सदस्य
4. श्री अरविंद सिंह लवली, विधायक —सदस्य
5. आयुक्त (उद्योग) —सदस्य